

[श्री मोर्य]

अंग्रेजी की क्या परिस्थिति होगी। इसलिये हमारे सामने जो कमीशन की रिपोर्ट है वह केवल पाँच वर्ष के लेखे को हमारे सामने रखती है, दस वर्ष के लेखे को नहीं रखती है। इसलिये प्रॉटिकल ३४४ में 'बिग्र प्रॉफ्टर' शब्द का प्रयोग हुआ है।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ...

**अध्यक्षमहोदय :** भव प्राप अपदा भाषणकल समा त कीजियेगा।

Division No. 12]

AYES

Tade, Shri  
Banerjee, Shri S.M.  
Bhawani, Shri Lakhmu  
Brij Rai Singh Kotah, Shri  
Dharamalingam, Shri  
Gounder, Shri Muthu  
Gupta, Shri Kashi Ram  
Ismail, Shri M.  
Jha, Shri Yogendra  
Kakkar, Shri Gauri Shanker

Kamath, Shri Haranji Vishno  
Kandappan, Shri S.  
Kapur Singh, Shri  
Kar, Shri Prabhat  
Kriahnapal Singh, Shri  
Marandi, Shri  
Maurya, Shri  
Mukerjee, Shri H.N.  
Nair, Shri Vasudevar  
Pottakkatt, Shri

17.03 hrs.

Rajaram, Shri  
Reddy, Shri Narasimha  
Sezhian, Shri  
Shastri, Shri Prakash Vir  
Soy, Shri H.C.  
Swamy, Shri Sivamurthi  
Utaya, Shri  
Vishram Prasad, Shri  
Yadav, Shri Ram Sewak

NOES

Abdul Wahid, Shri T.  
Alegesan, Shri  
Alva, Shri A.S.  
Alva, Shri Joachim  
Aney, Dr. M.S.  
Arunachalam, Shri  
Azad, Shri Bhagwat Jha  
Babunath Singh, Shri  
Bajaj, Shri Kamalnayan  
Bal Krishna Singh, Shri  
Balakrishnan, Shri  
Balmiki, Shri  
Barupal, Shri P.L.  
Basappa, Shri  
Beata, Shri  
Bhakt Darshan, Shri  
Bharja Deo, Shri L.N.  
Bhanuava, Shri M.B.  
Bhaskar, Shri  
Bhattacharyya, Shri C.K.  
Bireswar Prasad, Shri  
Chakraverti, Shri P.R.  
Chanda, Shrimati Jyotsna  
Chandrasekhar, Shrimati  
Chaturvedi, Shri S.N.  
Chaudhuri, Shrimati Kamala  
Chuni Lal, Shri  
Colaco, Dr.  
Das, Dr. M.M.  
Dasappa, Shri  
Deo Bhanu, Shri P.G.

Desai, Shri Morarji  
Deshmukh, Shri B.D.  
Dhuleshwar Meena, Shri  
Dinesh Singh, Shri  
Dixit, Shri G.N.  
Dwivedi, Shri M.L.  
Gaekwad, Shri Patehsinhrao  
Gajraj Singh Rao, Shri  
Ganapati Ram, Shri  
Ganga Devi, Shrimati  
Govind Das, Dr.  
Guha, Shri A.G.  
Gupta, Shri Badshah  
Hajarnav's, Shri  
Hem Raj, Shri  
Jagjivan Ram, Shri  
Jain, Shri A.P.  
Jedie, Shri  
Joshi, Shrimati Subhadra  
Jyotishi, Shri J.P.  
Kabir, Shri Humayun  
Kedaris, Shri C.M.  
Khan, Shri Osman Ali  
Khanna, Shri Mehr Chan  
Krishna, Shri M.R.  
Kureel, Shri B.N.  
Lakshminthamma, Shrimati  
Lalit Sen, Shri  
Lonikar, Shri  
Mahtab, Shri  
Mahishi, Shrimati Sarojini

Malaviya, Shri K.D.  
Manaan, Shri  
Mandal, Shri Yamuna Prasad  
Maniyangadan, Shri  
Masuriya Din, Shri  
Mehrotra, Shri Braj Bihari  
Mehta, Shri J.R.  
Melkote, Dr.  
Menon, Shri Krishna  
Mirza, Shri Bakar Ali  
Mishra, Shri M.P.  
Misra, Shri Mahesh Dutt  
Mohiuddin, Shri  
Morarku, Shri  
Mukane, Shri  
Muthiah, Shri  
Naidu, Shri V.G.  
Naik, Shri  
Nanda, Shri  
Nehru, Shri Jawaharlal  
Pande, Shri K.N.  
Pandey, Shri Vishwa  
Panna Lal, Shri  
Patel, Shri P.R.  
Patel, Shri Rajeshwa  
Patil, Shri D.S.  
Patil, Shri S.B.  
Patil, Shri S.K.  
Pillai, Shri Nataraja

17 hrs.

### COMPULSORY DEPOSIT SCHEME BILL—contd.

**Mr. Speaker:** We may now take up for submission to the vote of the House the following motion about the Compulsory Deposit Scheme Bill. It is the amendment of Shri S. M. Banerjee. The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the first day of the next session."

The Lok Sabha divided:

<b>Prabhatkar, Shri Naval</b>	<b>Saraf, Shri Sham Lal</b>	<b>Subramanyam, Shri T.</b>
<b>Pratap Singh, Shri</b>	<b>Satyabhama Devi. Shrimati</b>	<b>Sumat Prasad, Shri</b>
<b>Raghunath Singh, Shri</b>	<b>Sen, Shri A.K.</b>	<b>Surendra Pal Singh, Shri</b>
<b>Raj Bahadur, Shri</b>	<b>Sen, Shri P.G.</b>	<b>Swamy, Shri M.P.</b>
<b>Ram Sewak, Shri</b>	<b>Sharma, Shri A.P.</b>	<b>Tahir, Shri Mohammad</b>
<b>Ram Singh, Shri</b>	<b>Sharma, Shri D.C.</b>	<b>Tiwary, Shri D.N.</b>
<b>Ramaswamy Shri S.V.</b>	<b>Sharma, Shri K.C.</b>	<b>Tiwary, Shri K.N.</b>
<b>Rananjai Singh, Shri</b>	<b>Shashi Ranjan, Shri</b>	<b>Tiwary, Shri R.S.</b>
<b>Rane, Shri</b>	<b>Shastiri, Shri Lal Bahadur</b>	<b>Tripathi, Shri Krishna Deo</b>
<b>Ranga Rao, Shri</b>	<b>Shastri, Shri Ramanand</b>	<b>Uikey, Shri</b>
<b>Rao, Shri Krishnamoorthy</b>	<b>Sheo Narain. Shri</b>	<b>Upadhyaya, Shri Shiva Dutt</b>
<b>Rao, Shri Thirumala</b>	<b>Shrimali, Dr. K.L.</b>	<b>Varma, Shri Ravindra</b>
<b>Roy, Shrimati Renuka</b>	<b>Siddiah, Shri</b>	<b>Veerakasappa, Shri</b>
<b>Reddiar, Shri</b>	<b>Sidheshwar Prasad, Shri</b>	<b>Venkatasubbajah, Shri P.</b>
<b>Reddy, Shri K.</b>	<b>Singh, Shri D.N.</b>	<b>Verma, Shri Balgovind</b>
<b>Reddy, Shrimati Yashoda</b>	<b>Singh, Shri R.P.</b>	<b>Vidyalankar, Shri A. N.</b>
<b>Saha, Dr S.K.</b>	<b>Sinha, Shri B.P.</b>	<b>Virbhadra Singh, Shri</b>
<b>Sahu, Shri Rameshwar</b>	<b>Sinha, Shri Satya Narayan</b>	<b>Vyas, Shri Radhelal</b>
<b>Samanta, Shri S.C.</b>	<b>Sinha, Shrimati Tarkeshwari</b>	<b>Wadiwa, Shri</b>
<b>Sannani, Shri</b>	<b>Subbaraman, Shri</b>	<b>Yadab, Shri N.P.</b>

**Mr. Speaker:** The result of the division is: Ayes 29; Noes 152.

*The amendment was negatived.*

**Mr. Speaker:** The question is:

"That the Bill to provide in the interest of national economic development for compulsory deposit and for the framing of a scheme in relation thereto, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

**Clause 2—** (*Persons to whom Act applies*).

**Mr. Speaker:** We will now take up clause-by-clause consideration. Clause 2. Hon. Members may kindly indicate the amendments that they want to move.

**Shri Prabha Kar** (Hooghly): My amendments are 49, 53, 56, 59 and 63.

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur): My amendments are 50, 54, 57, 60, 61 is the same as Government's.

**Mr. Speaker:** If it is the same, he need not move it.

**Shri Yogendra Jha** (Madhubani): My amendment to this clause is 33.

**Shri Braj Raj Singh** (Bareilly): My amendments are 100, 101, 104 and 105.

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar): My amendments are 51, 52, 55, 58 and 62.

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, 64 may be kindly added.

**Mr. Speaker:** All right.

**Shri Balmiki** (Khurja): My amendments are 99, 103, 106.

**Shri P. R. Patel** (Patan): My amendment is 35.

**Mr. Speaker:** Shri Sivamurthi Swamy. What about his amendments?

**Shri Sivamurthi Swamy** (Koppal): I do not know the numbers.

**Mr. Speaker:** Should I write: Shri Sivamurthi Swamy's amendments—numbers he does not know?

**Shri Sivamurthi Swamy:** Nos. 36, 37 and 38.

**Shri Prabhat Kar:** I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

after "land revenue" insert—

"over fifteen rupees". (49)

(ii) Page 1, line 17,—

add at the end—

"except to a holder if he owns one building and the valuation thereof is less than fifty thousand rupees". (53)

(iii) Page 1, lines 27 and 28,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"three thousand rupees". (56)

(iv) Page 2, line 3,—

for "fifteen thousand rupees" substitute—"thirty thousand rupees". (59)

(v) Page 2, lines 10 and 11,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"three thousand rupees". (63)

**Shri S. M. Banerjee:** I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

after "land revenue" insert—  
"over twenty rupees". (50)

(ii) Page 1, line 17,—

add at the end—

"except to a holder if he owns one house and its valuation is less than fifty thousand rupees". (54)

(iii) Page 1, lines 27 and 28,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"three thousand six hundred rupees". (57)

(iv) Page 2, line 3,—

for "fifteen thousand rupees" substitute—"twenty-five thousand rupees". (60)

(v) Page 2, lines 10 and 11,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"three thousand six hundred rupees". (64)

**Shri Yogendra Jha:** I beg to move:

Page 1,—

for lines 10 to 12, substitute—

"(a) persons or a family liable to payment of land revenue above rupees fifty per annum under any law with respect to land revenue and whose annual income from land is rupees one thousand five hundred or more,". (33)

**Shri Brij Raj Singh:** I beg to move:

(i) Page 1,—

after line 12, insert—

"Provided that this clause shall not apply to those lands which are said to be uneconomic holdings in any State." (100)

(ii) Page 1, line 15,—

after "immovable properties" insert—

"whose estimated annual rental value is one thousand and five hundred rupees or more" (101)

(iii) Page 2, line 8,—

add at the end—

"and having an annual income of thirty-six thousand rupees or more". (104)

(iv) Page 2, lines 10 and 11,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—

"Three thousand six hundred rupees or more" (105)

**Shri Kashi Ram Gupta:** I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

after "land-revenue" insert—  
"of over twenty-five rupees per year". (51)

(ii) Page 1, line 10,—

after "land revenue" insert—

"of over twenty rupees per year." (52)

(iii) Page 1, line 17,

add at the end—

"provided the amount of such a tax is more than fifty rupees per year". (55)

(iv) Page 1, lines 27 and 28,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"one thousand eight hundred rupees". (58)

(v) Page 2, lines 10 and 11,—

for "one thousand five hundred rupees" substitute—"one thousand eight hundred rupees". (62)

**Shri Balmiki:** I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

after "persons" insert—"having more than ten acres of land" (99)

(ii) Page 2, line 5,—

after "shopkeepers" insert "and farmers" (103)

(iii) Page 2,—

after line 13, insert—

"(h) persons who pay expenditure tax under Act XXIX of 1957"; (106)

**Shri P. R. Patel:** I beg to move:

Page 1, line 10,—

after "land-revenue" insert—

"more than rupees ten or whose net income from agriculture exceeds rupees one thousand a year" (35)

**Shri Deorao S. Patil (Yeotmal):** Sir, I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

after "persons" insert—

"whose annual income from land is one thousand five hundred

rupees or more and who are". (4)

(ii) Page 1, line 10,—

after "land-revenue" insert—

"more than five rupees". (7)

(iii) Page 1, lines 11 and 12,—

for "whether or not such persons are liable to pay tax under the Income-tax Act" substitute—"and who are not liable to payment of tax under the Income-tax Act". (10).

**Shri Kashi Ram Gupta:** Amendment No. 59 may also be taken as moved in my name.

**Mr. Speaker:** It has been already moved by Shri Prabhat Kar.

**The Deputy-Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha):** Sir, I beg to move:

(i) Page 1, line 10,—

After "land-revenue" insert,—

"(whether known as land-revenue, rent, tax or by any other name)". (72)

(ii) Page 1, line 17,—

add at the end "who are not liable to payment of tax under the Income-tax Act". (73)

(iii) Page 1, for lines 21 to 23, substitute:

"(iii) companies as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, including foreign companies within the meaning of section 591 and Government companies as defined in section 617 of that Act." (74)

(iv) Page 1, after line 26, insert,—

"(v) individuals or associations of persons or bodies of individuals liable to payment of tax

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

under the income-tax Act, and entitled to deduct the salary paid to their employees for the purpose to computing their income under that Act."

(v) Page 2, line 1, for "shop-keepers" substitute "dealers". (76)

(vi) Page 2, line 2,—

for "any law" substitute "any State Act". (77).

(vii) Page 2, after line 4, insert:—

"Provided that where by or under any such State Act any amount higher than fifteen thousand rupees has been fixed as the minimum annual turn-over for the purpose of registration under that Act the reference to fifteen thousand rupees in this clause shall be construed as a reference to that amount.

*Explanation.*—In this clause,—

- (a) "dealer" has the same meaning as in the respective State Acts with respect to tax on the sale of goods;
- (b) "State Act" includes a Provincial Act;" (78).

(viii) Page 2, omit lines 5 to 8. (79)

**Shri Prabhat Kar:** In sub clause (a) of clause 2, I have suggested persons liable to payment of land revenue upto Rs. 15 should be exempted. That is, this Act should apply only to those persons who pay land revenue of more than Rs. 15. So far as the compulsory deposit from the farmers is concerned, it will be realised from the land revenue. On the basis of the land revenue realised by the various States in 1959-60 this will come to the tune of Rs. 47.60 crores. I have earlier stated that there are quite a large number of farmers who pay land revenue, but their condition is so bad that if any further amount is being asked from them as a com-

pulsory deposit, to the extent of 50 per cent of the land revenue, they will be very much in difficulty. Already the appalling condition of the peasants in the rural sector is well-known. They are in arrears in the payment of land revenue because they are not in a position to pay the land revenue in time. If today a compulsory deposit is asked from them to the extent of 50 per cent of land revenue, they will be in a very difficult position. We agree that there should be some compulsory savings from the section of the population who are in a position to pay. That is why I have suggested that people who pay upto Rs. 15 as land revenue should be exempted. That means, other farmers who pay land revenue above Rs. 15 would come under this scheme.

Then, sub-clause (c) says:

"(c) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax (whether known as property tax, house tax or by any other name).

I have suggested an amendment saying

"and at the end—

"except to a holder if he owns one building and the valuation thereof is less than fifty thousand rupees."

In the urban areas, where a building has been constructed 30 or 40 years ago, the land value has appreciated. But that particular building may be the only source of income to that middle-class family. That is why I have suggested that if a family has only one building and its valuation is less than Rs. 50,000, that will be a very small house belonging to the lower middle-class group. I want that those people should be exempted, and that is why I have moved this amendment when the sub-clause will read:

"(c) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax (whether known

as property tax, house tax or by any other name) except to a holder if he owns one building and the valuation thereof is less than fifty thousand rupees”.

Coming to sub-clause (d) which says:

“employess of—

(i) the Central and State Governments,

(ii) local authorities,.....”

and in the end it says:

“whose annual income from salary is one thousand five hundred rupees or more and who are not liable to payment of tax under the Income-tax Act;”

my amendment is that instead of Rs. 1500 it should be Rs. 3000. Rs. 1500 annual income will be equal to Rs. 125 per month. It is admitted—I think there cannot be any controversy about it—that after the imposition of heavy indirect taxation the prices of daily necessities of life have gone up. Today, in any of the services, which are generally in the urban areas, it is very difficult for any employee to maintain his livelihood with Rs. 125. When not only the prices of daily necessities have gone up but the accommodation problem is also acute, in the case of employees who are drawing Rs. 125 per month or less it will be almost impossible for them to make the compulsory deposit because they will be already under debt. Under these circumstances, I have suggested that it should be Rs. 3000 instead of Rs. 1500 so that the monthly income of the employees will be Rs. 250. My suggestion is that employees who are drawing upto Rs. 250 should be exempted. That is my amendment No. 56.

So far as my amendment No. 59 is concerned, here again, sub-clause (e) says:

“shopkeepers whose annual turnover, determined in accordance with the provisions of any law with respect to tax on the sale of goods, is fifteen thousand rupees or more and who are not liable to

payment of tax under the Income-tax Act;”

The very fact that they are not liable to the payment of income-tax shows that they are earning much less and that is why they are not covered by the Income-tax Act. Today, small shopkeepers whose turnover is 15000 rupees will be earning to the tune of Rs. 100 or Rs. 105 or even less than that, because of the competitive market, per month. If they are asked to deposit compulsorily, it will be difficulty for them to do that.

My amendments have all been under the conception that lower rung of the people in each group of income should be exempted. I am not saying that everyone of them should be exempted. That is why my amendment is the instead of Rs. 15,000 it should be Rs. 30,000. That is my amendment No. 59.

Then I come to my amendment No. 63, and that is to sub-clause (g) which says:

“such other categories of persons than those referred to in clauses (a) to (f) whose annual income is one thousand five hundred rupees or more and who are not liable to payment of tax under the Income-tax Act.”

In the case of salaried classes I have made a proposal that it should be Rs. 3000 instead of Rs. 1500. In this case also it should be Rs. 3000 instead of Rs. 1500. That is my amendment.

There is one thing more with regard to this particular section. I have not been able to find out exactly what particular section of the population the Finance Minister refers to under this sub-clause (g) because most of the people are covered by (a) to (f). Sub-clause (g) says:

“Such other categories of persons....” Which are those sections I do not know. As I said, Sir, my main proposition is that in respect of persons who are earning less than Rs. 3000 they should all be exempted and that is why I have moved these amendments.

श्री बृजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा साधारण सा ग्रामेंडमेंट है और वह मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ पर काश्तकार की हालत बहुत ही नाजूक हो रही है, खास तौर से इसलिए कि वहाँ हमारी सरकार ने पच्चीस फीसदी तो इमर्जेंसी टैक्स बढ़ा दिया है—लैंड रेवेन्यू का पच्चीस परसेंट। इस के अलावा वहाँ पर सीलिंग हो चुकी है और चालीस एकड़ की लिमिट तक सब होल्डिंग हो गई है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इनकम टैक्स चलता था, जिसको बाद में हिसाब-किताब कम करने के कारण साजँ लैंड होल्डिंग टैक्स में बदल दिया गया। अब सीलिंग हो जाने के बाद भी साजँ लैंड होल्डिंग टैक्स को दोबारा लाया जा रहा है। काश्तकार की जान तो पहले ही आफत में है। अब सरकार उस पर फ़र्द लेवी करने जा रही है। इस क्लॉज में यह लिखा है :

"This Act shall apply to the following categories of persons, namely:—

- (a) persons liable to payment of land-revenue under any law with respect to land-revenue whether or not such persons are liable to pay tax under the Income tax Act;"

उसमें मैंने एक साधारण सा संशोधन रखा है। मैंने कहा है कि इस के बाद यह लाइन इनसर्ट कर दी जाये —:

"Provided that this clause shall not apply to those lands which are said to be uneconomic holdings in any State".

इसका कारण यह है कि अलग अलग स्टेट्स में अनइकॉनॉमिक होल्डिंग का अलग अलग मीयार है। कहीं पर छोटे से छोटे रकबे को इकॉनॉमिक होल्डिंग मान लिया जाता है और जो नॉन-प्रॉडक्टिव एरियाज हैं, वहाँ काफी बड़े रकबे को भी अनइकॉनॉमिक

होल्डिंग माना जाता है। इस ग्रामेंडमेंट से उन काश्तकारों को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा, जिनकी खेती में से कुछ आमदनी नहीं होती है। इसलिए मैं विस मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस को स्वीकार कर लें। सब क्लॉज (सी) इस प्रकार है :

"(c) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax (whether known as property tax, house tax or by any other name);"

इसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि यह लाइन इनसर्ट कर दी जाये :

"whose estimated annual rental value is rupees one thousand five hundred or more"

इस बारे में मुझे दो बातें अजँ करनी हैं। देहात में मकान होने का कोई अर्थ नहीं है, सिवाये इसके कि उसमें रह लिया जाये, चाहे वह छोटा हो और चाहे बड़ा हो। अगर मकान बड़ा भी हो, तो उसकी रेंटल वैल्यू कुछ नहीं होती है। आज के युग में हमारे डेवेलपमेंट के थोड़े से डिपार्टमेंट्स वहाँ जाते लगे हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत किराया मिलने भी लगा है, तो टैक्स के बारे में कुछ लिमिट रखनी चाहिए।

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): It does not apply to the houses in the villages only houses in urban areas.

Shri Bade (Khargone): What about small cities and municipalities?

Shri Morarji Desai: Regarding municipalities, yes.

श्री बृजराज सिंह : वे छोटे छोटे कस्बे हैं। उनको कस्बे कह, शहर कहें, जो कुछ भी कहें। मैं तो उनको देहात ही मानता हूँ। वहाँ पर जो थोड़े बहुत आफिसिज जाते हैं, उन्हीं का किराया होता है। जो बिल्कुल देहात हैं,

जो बिल्कुल गाँव है, वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पर कोई रेन्टल वैल्यू नहीं है। उससे आगे जाकर जो हमारे कस्बे हैं— मैं उनको गाँव न कह कर कस्बे कहूँगा— उनमें थोड़ा बहुत किराया भ्रव लोगों को मिलने लगा है। अगर उसमें भी कोई लिमिट नहीं रखा जायेगी और अनलिमिटेड टैक्सेशन चलता रहेगा, तो उचित नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि जिन मकानों की रेन्टल वैल्यू १५.०० रुपये या उससे ज्यादा हो, उन्हीं को इसमें रखा जाये।

**Shri S. M. Banerjee:** In my amendment No. 50, regarding the recovery as land revenue, I have suggested that the amount should be Rs. 20. In this House, many hon. Members belonging to various political parties have clearly stated to what extent there is rural indebtedness in the country. I would, therefore, request the hon. Finance Minister, who always champions the cause of the rural people, to come forward with some amendment to the effect that the limit should be Rs. 20 instead of Rs. 5. I say this because the passage of this Bill will tell on the nerves of the peasants, and their indebtedness will increase to an extent where it will be impossible for them to run their houses.

Coming to amendment No. 54, I fully support the amendment moved which is almost the same with the exception of some words, that is if anybody has got one house only in an urban area whose valuation is less than Rs. 50,000 he should not be taxed. We have carefully worded this amendment by saying "less than Rs. 50,000". We would have also moved an amendment to say that if anybody has got only one house he should be exempted, but then one house can be like Ashoka Hotel having about a thousand rooms. That is why we have made it specific that anybody who owns a house in an urban area whose valuation is less than 50,000 should be exempted. I hope, this matter will also be considered by the hon. Finance

Minister if he has not made up his mind already.

Then I come to amendment No. 57 which seeks to substitute "three thousand six hundred rupees" for "one thousand five hundred rupees". In giving the concession to the salaried people the hon. Finance Minister said that if anybody is contributing 11 per cent, whether to the provident fund or to an insurance policy or to both, he will not be asked to pay anything and he will not come under the scheme of compulsory deposit. In reply to a question the hon. Finance Minister said yesterday that because this 11 per cent has been accepted by some Government employees in the State of Madras, he thought that it was the proper norm which could be accepted and implemented throughout the country. I would like to know from him whether it is a fact that during the emergency a section of the Government employees in the Madras State voluntarily accepted a reduction of 11 per cent. If they have accepted it voluntarily, it cannot become a basis for the entire country. So, I would request that this should be reconsidered. My amendment sets the limit at Rs. 3,600 which is the limit for income-tax purposes in the case of married people. They should be exempted.

Coming to amendment No. 60, where I have said that "fifteen thousand rupees" should be substituted by "twenty-five thousand rupees", I have to submit this. What does a turnover of Rs. 15,000 of a shopkeeper mean? There is hardly a profit of Rs. 100 or Rs. 150. He is just like those Class III or Class IV employees who are drawing Rs. 125 a month. Moreover, even on that turnover of Rs. 15,000 he is already paying sales tax to the State Government. In a place like UP the sales-tax is not single-point but it is multiple-point and one has to pay sales-tax on many items. So, for the purpose of this, the turnover should at least be Rs. 25,000 instead of Rs. 15,000.



[Shri S. M. Banerjee]

Who will decide that a shopkeeper's turnover is Rs. 15,000. I am apprehensive of one thing. After the passage of this Bill unfortunately corruption in this country will increase because there will be more attempt at evasion and now the quantum of bribe will start from four annas and will go upto Rs. 4,000. When land revenue is recovered, it will go to the Tehsildar. The hon. Finance Minister will also, I am sure, explain to us as to what will be the proper apparatus for realising this amount. He would kindly throw light upon this because we are apprehensive that ultimately its realisation in the rural areas will be left to the Lambardars, not even to anybody from the Tehsildar's office. When the Lambardar goes to recover this amount.....

Shri Morarji Desai: May I say, Sir, that these are shopkeepers who are already registered or licensed under the various laws of the States? Therefore there is no question of determining them afresh. It will be above Rs. 15,000 where the exemption limit is 15,000 and it will be above Rs. 25,000 where the exemption limit is Rs. 25,000. But those shopkeepers who are licensed under the sales-tax law and who do not pay income-tax are the people who are covered under this category.

Shri S. M. Banerjee: I follow the point. But turnover, after all, is not like the monthly salary.

Shri Morarji Desai: They are registered.

Shri S. M. Banerjee: There was a request by the shopkeepers of UP to the Chief Minister of UP that for the matter of sales-tax also this turnover be taken into account, licences may be given and every year or every six months or every month a particular amount may be paid. It was not accepted by the Chief Minister.

My apprehension is that this may not led to corruption.

Mr. Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri S. M. Banerjee: I am happy that the amendment No. 61 which was moved by my hon. friends Shri Pra-bhat Kar and Shri Indrajit Gupta and myself has been accepted by Government. I thank Government for that. The hon. Finance Minister should have accepted our amendment instead of moving his amendment.

Mr. Speaker: That is equally good. He should finish now.

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, कल मैं ने इन बिल पर जो कुछ कहा था उससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी वित्त मंत्री महोदय से यही अपील है कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रमैडमेंट यह है कि जो किसान २५ रुपये से कम लैंड रेवेन्यू देता है उससे यह डिपॉजिट न लिया जाए। इसका मूल कारण यह है कि गांवों में जो किसान २५ रुपये तक लैंड रेवेन्यू देता है उसकी आमदनी ६०० या ५०० रुपये साल से अधिक नहीं होती। जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं या दूसरे काम करते हैं वे भी इतना ही कमा लेते हैं। मगर उन पर यह योजना लागू नहीं होती है। इस योजना का नतीजा यह होगा कि उन किसानों पर यह लागू हो जाएगी जिनकी आमदनी ५०० या ६०० रुपए सालाना है जब कि अन्य काम करने वालों पर जिनकी उतनी ही आमदनी है यह लागू नहीं होगी। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वह हर क्लास के लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। लेकिन जो २५ रुपये लैंड रेवेन्यू देता है उस

पर यह योजना लागू हो जाएगी जब कि उतनी ही आमदनी वाले अन्य लोगों पर यह लागू नहीं होगी। इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा।

इसके अलावा लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज भी लगने लगा है। इस कारण भी उनसे यह डिपॉजिट नहीं लेना चाहिये यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा अमैंडमेंट है कि जिस आमदनी मकान के किराए से ५० रुपए से कम हो उस से यह डिपॉजिट न लिया जाए। इसका कारण यह है कि अधिकतर स्थानों में मकानों के किराए पर सत्ते सात पर सेंट वा म्युनिसिपैलिटी का टैक्स लगता है। मेरा निवेदन है कि इतनी थोड़ी आमदनी वाले पर यह डिपॉजिट नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा करना सरासर अन्याय होगा।

तीसरा मेरा अमैंडमेंट है कि १५०० की तनखाह की आमदनी वालों से यह न लिया जाए, पर इस १५०० को १८०० कर दिया जाय, कारण कि जिसकी आमदनी १५०० रुपया साल है उसके पास कुछ भी नहीं बच सकता। जिनकी आमदनी १५०० रुपए साल है और उनके परिवार में पांच आदमी हैं वे कर्ज में लदे रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस १५०० को बढ़ा कर १८०० कर दिया जाए। बड़े शहरों में तो क्या, छोटे शहरों में भी जिसकी आमदनी प्रति व्यक्ति ३० रुपए महीने से कम है वह किसी तरह भी कुछ नहीं बचा सकता। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि इस आमदनी को १५०० रुपये से बढ़ा कर १८०० कर दिया जाए।

इस से आगे मेरा यह अमैंडमेंट है कि जो और लोग रह गए जिनकी आमदनी १५०० सालाना है उनको भी इसमें न लिया जाए। प्रथम तो मेरा निवेदन है कि उनकी

आमदनी की जाँच करने में बड़ी कठिनाई होगी और इससे बड़ा अप्रत्याचार फ़ैलेगा। फिर भी १५०० की आमदनी पर, जैसा मैंने उपर कहा, इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए। इसको भी १५०० से १८०० कर देना चाहिए।

इसके अलावा आपने १५००० की बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी इसमें शामिल किया है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि वहाँ पहले से रजिस्टर्ड हैं। मेरा निवेदन है कि छोटे दुकानदारों की छोटे कसबों और गांवों में क्या आमदनी है। ये लोग बिनीला, या चीनी या कपड़ा आदि बेचते हैं। इनका एवरेज पांच पर सेंट से ज्यादा नहीं होता। अगर एक व्यापारी ३०००० का माल बेचेगा तो उसको प्रायः आमदनी १५०० की होगी, नेट प्राफ़िट तो और भी कम हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए आमदनी का आधार होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सेल्स टैक्स के लिए उनको १५००० के लिए रजिस्टर किया गया है इसलिए उनको शामिल कर लिया जाए। उसके लिए आमदनी का आधार होना चाहिए। सेल्स टैक्स वाले तो उनकी बिक्री निरधारण सीमा २० हजार, २५००० या तीस हजार भी लिख देते हैं। लेकिन आपको तो उनकी आमदनी देखनी चाहिए। यह ठीक है आपने रजिस्टर्ड डीलरों को इसमें लिया है लेकिन उनकी आमदनी देखना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि उन को दस और १५ पर सेंट की आमदनी होती है। कम्प्टीशन इतना अधिक है कि अनेक जगह ५ पर सेंट की आमदनी भी नहीं होती।

इससे आगे मेरा अमैंडमेंट है कि पंचायत शब्द को हटा दिया जाए। आप ने इस स्कीम को दस हजार तक की आबादी

[श्री काशी राम गुप्त]

के लिए रखा है। लेकिन पंचायत में तो हमारे यहां १५०० तक के गांव आ जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि इसमें सब गांव आ जाएंगे। इस लिये इस पंचायत शब्द को हटाना जरूरी है। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होगा, केवल लोगों को परेशानी होगी। पंचायत शब्द को किस आधार पर रखा गया यह मेरी समझ में नहीं आता। म्युनिसिपैलिटी तो मेरी समझ में आता है लेकिन पंचायत को किस आधार पर रखा गया है। इसको हटाना चाहिये।

आगे इसमें पेंनेल्टी वॉररह का जिक्र है। मेरा निवेदन है कि पेंनाल्टी आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** पेंनाल्टी तो दूर है आप तो सारे पर बोलना चाहते हैं। अब खत्म करें।

**श्री बाल्मीकी :** अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य बचत योजना का स्वागत तो किया ही जाएगा, और बचत जीवन में अच्छी भी लगती है। छोटी बचत की योजना देश के अन्दर चली लेकिन वह केवल शहरों तक ही सीमित रह गयी। उसका प्रसार देहातों में नहीं हो सका, और अब जो यह योजना है इसका सारे देश में एक व्यापक प्रसार हो सकेगा ऐसा मैं महसूस करता हूँ।

जहां तक बचत का सवाल है, शक्ति के अनुसार बचाने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन आज जीवन की आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ जाने से स्थिति ऐसी विकट हो रही है कि बचत नहीं हो पाती और नित्य प्रति का जीवन भार स्वरूप होता जा रहा है।

जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है मैंने यह खास तौर से मांग की है कि दस एकड़ से अधिक वाले किसानों पर यह बचत योजना लागू होनी चाहिए और दूसरे जो छोटे दुकानदार ह उनको इससे मुक्त रखा जाए।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पश्चिमी

उत्तर प्रदेश से आता हूँ। देश के अन्दर और यहां अन्य राज्यों का जिक्र आता है तो उनको एक इकाई के रूप में माना जाता है, लेकिन इस सदन में उत्तर प्रदेश को एक इकाई न मान कर दोन भागों, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, का ही नाम लिया जाता है। जहां तक किसान का सम्बन्ध है पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान की हालत ज्यादा खराब है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो छोटे किसान हैं उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, उनके रहन सहन में पूर्व के किसानों से थोड़ा ही अन्तर है। उनके बदन पर केवल वस्त्र दिखायी देते हैं। लेकिन दस एकड़ तक के किसानों की हालत बहुत खराब है। ये लोग परेशान रहते हैं और कर्ज से दबे रहते हैं। इनके ऊपर कोआपरेटिव सोसाइटी का कर्जा है, मारगेज सोसाइटीज का कर्जा है, साहूकारों का कर्जा है और दूसरे लोगों का भी कर्जा होता है। खेती के अन्य व्यय भी हैं। इनके पास बचत नहीं हो पाती। मेरा निवेदन है कि जैसा पहले रूल सर्वेक्षण हुआ था वैसा सर्वेक्षण फिर करके देख लिया जाए कि इनकी हालत क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छोटे किसानों की हालत बेहतर नहीं है। इस लिए मेरा निवेदन है कि जो दस एकड़ तक के किसान हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए।

बचत शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। हर एक आदमी अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता है। यह प्रसन्नता की बात है कि चीन के हमले के कारण हमारी सरकार अपने साधन बढ़ाना चाहती है और साथ ही विकास कार्य को भी नहीं रोकना चाहती। उसके लिए भी धन के साधनों की आवश्यकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए रक्षा कोष में जनता ने, खास कर गरीब किसानों ने और गरीब मजदूरों ने और छोटे दुकानदारों ने तथा दलित जाति के लोगों ने अपना पूरा योग दिया है, जितना कि उन लोगों ने नहीं दिया जोकि इनकम टैक्स देते हैं,

वैयक्तिक टैक्स देते हैं और अन्य टैक्स देते हैं। योगदान दिया है यह बात भी ध्यान देने योग्य है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दस एकड़ तक के किसानों को और छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को इस योजना से मुक्त रखा जाये।

आज देश संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है। और हर एक आदमी, विशेषकर गरीब लोग, चाहे व मजदूर हों, छोटे किसान हों या छोटे दुकानदार हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे राज्य सरकारों के या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों, सभी अपना भरसक योगदान देना चाहते हैं और दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान विशेष कर छोटे दुकानदार और छोटे किसान जो कि दस एकड़ से कम वाले हैं उन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी मंशा से मैं ने अपने संशोधन दिये हैं और सरकार को उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। आज किसानों की अवस्था बड़ी शोचनीय है और विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो किसानों की हालत बहुत ही खराब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अवस्था उन से कुछ ही बेहतर होगी लेकिन उन के लिए भी यह कहावत याद आती है :—

“भारी भरम पिटारा खाली”।

ऊपर से देखने में तो यह काफ़ी धनी प्रतीत होते हैं लेकिन दरहकीकत उनके पास कुछ नहीं है। उन का बक्स खाली मिलता है और इकत्री, दुआत्री भी नहीं मिलती है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भी हालत शोचनीय है। वित्त मंत्री महोदय देश का आर्थिक विकास करने के लिए इस अनिवार्य बचत योजना को अमल में ला रहे हैं। इस बारे में मेरा उन से विशेष आग्रह है कि छोटे किसान जो कि पहले ही करों के भार के नीचे अत्यधिक दबे हुए हैं, वे इस अनिवार्य बचत योजना से और भी दबने वाले हैं, इसलिए मैं ने अपने संशोधन में यह

कहा है कि छोटे किसान जिन की कि हालत बहुत खराब है और जिन के कि पास दस एकड़ से ज्यादा नहीं है, उन को इस से छूट दी जाये। यदि नहीं, तो कम से कम छोटे किसान तथा दुकानदारों के लिये यह अनिवार्य बचत एच्छक कर दी जाये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अनिवार्य बचत योजना सम्बन्धी कानून किसानों पर एक जुल्म का कानून है। वित्त मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ कि वह भी किसानों से सम्बन्ध रखते हैं। आजकल डेवेलपमेंट हो रहा है, इरीगेशन की सहायता दी जा रही है लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि एक एकड़ पर किसानों को कितना लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है? मैं समझता हूँ कि उन्हें यह बात मालूम होगी, कि तुंगभद्रा एरिया, जिस क्षेत्र से कि मैं आता हूँ, वहाँ पर एक एकड़ में जो गन्ना पैदा होता है उस का एक एकड़ का लैंड रेवेन्यू ४८-५० रुपये तक पड़ता है। एक एकड़ पर यदि वह धान उगाता है तो उस का त्वरित लैंड रेवेन्यू १८-२० रुपये पड़ता है। यह ५६-६० की मैं बतला रहा हूँ। अभी उस को डबल किया है और ७५ पर सेंट बढ़ाया गया है। एक एकड़ का किसान जहाँ तुंगभद्रा एरिया में पहले ५० रुपया देता था वह आज ६२ रुपये दे रहा है। जब एक एकड़ के लिए इतना लैंड रेवेन्यू हो रहा है तो ५ रुपये तक लैंड रेवेन्यू देने वाले किसान को जो इस स्कीम से आप ने छूट दी है, मैं समझता हूँ कि यह किसानों के साथ एक बिल्कुल खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है। यह रिलीफ बिल्कुल नाकाफ़ी है और न के बराबर है। इसलिए मैं ने अपने संशोधन में मांग की है कि १०० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले किसानों को इस कानून से एगजम्पशन दिया जाय। यह छूट न देना उस के साथ सरासर नाइसार्फी करनी होगी।

अगर सरकार सेविंग करना चाहती है, देश में सोशल सुधार लाना चाहती है और

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

देश का आर्थिक विकास करना चाहती है क्योंकि उन्होंने ने इस बिल को पेश करते हुए कहा है तो उस को ठीक तरीके से करना चाहिए था। कम्पलसरी इंड्योरेंस स्कीम चालू कर दी जाये और उस में सरकार को २० साल तक एक पैसा भी किसी को वापिस नहीं करना पड़ेगा। २० साल तक सारी बचत उस के पास रहेगी। दूसरी तरफ़ इस से जनता को सिक्योरिटी भी मिलेगी। अगर घर का मुखिया कमाने वाला मर जाता है तो बीमे का पैसा उस के परिवार वालों और आश्रितों को दिया जा सकता है। लेकिन यह अनिवार्य बचत योजना के द्वारा जो आर्थिक और सोशल रेवोलूशन लाया जा रहा है यह दुस्त नहीं है। यह तो चूँकि सरकार को पैसे की जरूरत है इसलिये छोटे किसानों से बिलकुल जबरन यह पैसा लिया जा रहा है।

इस के अलावा मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ लैंड रेवेन्यू को वसूल करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं? लैंड रेवेन्यू के साथ जो भी लोकल फंड होते हैं जैसे हेल्थ सैस, एजुकेशन सैस, लाइब्रेरी सैस, डेवेलपमेंट सैस और न जाने कितने और सैस हैं जोकि किसानों से वसूल करने होते हैं और किसानों की हालत बड़ी खस्ता होती है और करों का भार पहले से ही उन पर काफ़ी था। अब यह कर और उन पर लादा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप की कुर्सी के ऊपर "धर्मचक्र प्रवर्तनीय" ऐसा लिखा हुआ है। इस पर शासन द्वारा ठीक तरह से अमल होना चाहिये।

श्री स० भो० बनर्जी : इस के ऊपर भी सैस लग जायगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : पिछले तीन, चार दिन से सदन में इस बिल पर बहस चल रही है। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक भी मمبر ऐसा है जिसने कि इसका समर्थन किया है चाहे वह कांग्रेस

दल के हों अथवा त्रिरोधी दल के हों?.....

श्री मोरारजी देसाई : कई लोगों ने किया है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं समझता हूँ कि वह एक, आध सौलिटरी वाएस ही रही होगी। आम तौर पर सभी माननीय सदस्य इसके विरुद्ध हैं। अगर प्रजा प्रभुत्व की दृष्टि से देखें, जनता की दृष्टि से देखें भारतवर्ष के गरीब किसानों की दृष्टि से देखें तो साफ़ मालूम हो जायेगा कि यह मरे को और मारा जा रहा है। जिन किसानों के वोट पर यहां चुन कर आये हैं उन्हीं के ऊपर इस कानून से जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय के बारे में कहा जाता है कि वह जो निश्चय कर लेते हैं फिर उससे पीछे हटते नहीं हैं, कुछ वही बात यहां भी नजर आ रही है। मुरारजी साहब इज नथिंग बट ऐन ऐडेमेंट मिनिस्टर। उनको किसानों की दर्दनाक हालत पर तरस खाना चाहिये और उनको राहत देनी चाहिये। आज लैंड रेवेन्यू देना ही उनके लिये दूभर हो रहा है। मैंने यह संशोधन मूव किया है और मैं आशा रखता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे : --

I beg to move:

Page 1, line 10,—after "land revenue" insert—

"above rupees one hundred or more." (36).

१०० रुपये या इससे नीचे वालों को आप इस स्कीम से छूट दे दीजिये तो उनको रिलीफ मिल जायेगा। आजकल लैंड रेवेन्यू जैसा कि मैंने बतलाया काफी है....

श्री मोरारजी देसाई : कौन सी स्टेट में ५० रुपये पर एकड़ लैंड रेवेन्यू है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी सुनता रहा और मुझे भी उनकी यह बात सुन कर हैरानी हुई कि एक एकड़ पर ४८ रुपये लैंड रेंवेन्यू है ।

**एक माननीय सदस्य :** इरीगेशन को भी शामिल कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब इरीगेशन तो झलहदा है वह कोई लैंड रेंवेन्यू तो नहीं है । इरीगेशन चार्जेंज झलहदा हैं और लैंड रेंवेन्यू अलग बात है । ४८ रुपये लैंड रेंवेन्यू एक एकड़ पर कहीं भी नहीं है । माननीय सदस्य श्री शिवमूर्ति स्वामी ने इसे गलत समझा है जोकि इसमें इरीगेशन चार्जेंज भी शामिल कर रहे हैं ।

**Shri A. P. Jain (Tumkur):** The average is Rs. 5.

**Shri Sivamurthi Swamy:** I agree the average is Rs. 5.

**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय सदस्य अपना भाषण खता करें ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** अगर इरीगेशन चार्जेंज मालगुजारी में शरीक नहीं होता है तो बेसिक लैंड रेंवेन्यू ४, ५ रुपये पर एकड़ से ज्यादा नहीं जाता है, मैं यह मानता हूँ । लेकिन यह जरूर है कि २०-२५ एकड़ वाला जो किसान होगा उसको सब मिला कर १०० रुपये तक लैंड रेंवेन्यू देना पड़ता है । जहां इरीगेशन फीसिलिटीज दी गई हैं और डेवेलप्ट ऐरिया है वहां पर मालगुजारी १२ रुपये से १८ रुपये तक है और ४८ रुपये वहां से लेते हैं जहां पर कि गन्ना पैदा होता है । इरीगेशन चार्जेंज को लैंड रेंवेन्यू के साथ बसूल किया जाता है ।

**Shri A. P. Jain:** He is thinking of sack-renting by landlords.

**Shri S. M. Bauerjee:** He must be thinking of the Fourth Five Year Plan.

**Shri A. P. Jain:** I have seen irrigation charges of Rs. 300 per piece. But that is not rent.

**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** बहरहाल जो भी हो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस कानून को किसानों पर लागू करके उन के साथ ज्यादाती और अन्याय किया जा रहा है...

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अब छुट्ट एंडमेंट होने लगे हैं ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** मेरा दूसरा प्रमंडमेंट इस प्रकार है :—

I beg to move:

Page 1, line 17,— add at the end—

“where local tax on such properties by municipality or corporation or any other local authorities, is not below ten per cent of the total rent value.” (37)

उचित तो यह है कि केवल बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन्ज को इस में शरीक किया जाये, लेकिन जब सरकार पंचायतों वगैरह को भी इस कानून के दायरे में लाना चाहती है, तो यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि यह कानून उन्हीं जगहों में लागू होगा, जहां लोकल टैक्स किसी प्रापर्टी की टोटल रेंटल वैल्यू के १० परसेंट से कम नहीं है ।

I beg to move:

Page 2, line 3,—

for “fifteen thousand rupees or more” substitute—

“rupees one laka or more”. (38)

मैं इस प्रमंडमेंट को इस लिये जरूरी समझता हूँ कि जब कोई छोटा व्यापारी भी व्यापार शुरू करता है, तो अगर उस के माल का मूल्य दस हजार रुपये है, तो दस बारह अर्थात् लेनदेन करने के बाद उसका टर्न-

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

श्रोवर एक लाख रुपये हो जाता है। इसलिये से टर्न-श्रोवर की रकम को भी ज़रा बढ़ा देना चाहता हूँ।

**Shri P. R. Patel:** Because of the Chinese invasion, our defence expenses have gone up to Rs. 850 crores, and naturally the revenue has to be seured from some source. Taxing is the unpleasant duty of a Finance Minister everywhere, in every democracy, and our Finance Minister has to discharge this unpleasant duty of collecting money through these taxes.

But I am submitting the case of the poorest of the agriculturists and agricultural labourers. We know that the average land revenue per acre comes to about Rs. 3. The exemption of Rs. 5 of land revenue means that it will go to those persons whose holding is less than two acres. Let us consider what the income is from two acres.

A survey was conducted by the statistical department. Experts from the agricultural and planning departments combined in making this survey in Punjab. The irrigated land in that survey came to 70 or 80 per cent, and they came to the conclusion that the net income of agriculturists holding less than 40 acres was zero, that it was equal to the cost of production. From this we can know what will be the income of those with two or three acres. They are engaged in agriculture because there is no other profession, and they are doing it under a loss.

According to the report on agricultural labour, an agricultural labourer is one who is engaged in agricultural labour and who also does farming on submarginal lands. What are submarginal lands? They are uneconomic holdings. So, such persons would be covered by this. So, I do not know what words to use to describe the exemption that has been given. As a practising lawyer I have seen that in

cases of tort, the courts sometimes grant contemptuous damages, damages of one rupee or even half a rupee. I may be excused for saying that the exemption given to the agriculturists and agricultural labour is contemptuous. I would request the Finance Minister through you to exempt at least those agriculturists who are paying land revenue up to Rs. 10. I do not want more. If he comes to the conclusion that such agriculturists would be earning more, that also has been provided for by me. I have given alternatives—Rs. 10 or having a net income from agriculture to the extent of not more than Rs. 1000. You will see that our Finance Minister has been pleased to exempt all persons having an earning of less than Rs. 1500 except the agriculturist or the agricultural labourers possessing the land. What reason was there to exempt these persons whose income is less than Rs. 1500. If the view was that people having an income of less than Rs. 1500 could not save anything to give to the compulsory deposits, that reason also should apply in the case of the agriculturists and the agricultural labourers. In this country, I find one thing. The yard that is used for all persons is not used for the agriculturist. The income tax law exempts persons below an income of Rs. 3600. But there is absolutely no exemption for land revenue.

**Mr. Speaker:** All these things have been stated. The hon. Member should be brief.

**Shri P. R. Patel:** Thank you for the time given. I hope the hon. Finance Minister will agree to the limit of Rs. 10.

श्री दे० शि० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के हित में अनिवाय बचत करना है। इस स्कीम से एक प्रकार की बचत भी होती है और विकास तथा सुरक्षा के कार्य में योगदान भी मिल जाता है। इसलिए इस के सिद्धान्त और उद्देश्य के बारे में कोई दो मत नहीं हैं। मेरी

जो अग्रमेंडमेंट है, वह मेरी नहीं है, बल्कि वित्त मंत्री जी ने हाउस में जो घोषणा की थी, उस घोषणा के जो परिणाम निकलते हैं, उन को मैं ने अग्रमेंडमेंट में रखा है। उन की ओर से यह घोषणा की गई थी कि जिनकी वार्षिक आय १५०० रुपये से कम है, उन को छोड़ दिया जायगा। यह एक बहुत इम्पार्टेंट क्लॉज है। इस क्लॉज में बताया गया है कि यह ए ट किन-किन लोगों पर एग्गर्ड करेगा और यह कन्डीशन रखी गई है कि जिन लोगों की आय १५०० रुपये से कम है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। इस बारे में कुछ अग्रमेंडमेंट भी लाए गए हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में किसान के बारे में नहीं सोचा गया है। मैं चाहता हूँ कि छोटे किसान का भी जरा खयाल रखा जाये।

जो किसान पांच रुपये लगान देता है, उसको छोड़ दिया गया है और इस के दो कारण दिये गये हैं। एक कारण तो यह बताया गया है, "हैविंग रिगाड टु देयर जेनेरल पावर्टी . . ."। इस के ऊपर जो लोग हैं, वे गरीब नहीं हैं, उन की इनकम ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रिंसिपल को जहाँ तक बढ़ाना चाहिए था, वहाँ तक नहीं बढ़ाया गया है। इस का दूसरा कारण ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम्ज दिमा गया है।

मेरा खयाल है कि हर स्टेट में जो किसान पांच रुपये लगान देता है, वह मजदूर माना जाता है, वह एक्साइजि टु दि एक्ट लैंडलेस परसन माना जाता है और इसलिए उस को यह राहत दी गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि सीलिंग का एक्ट भी हर एक स्टेट में बना और टेनांसी का एक्ट भी हर एक स्टेट में बना और हर एक किसान की कितनी आमदनी होती है, यह सब कुछ कमेटी मुकर्रर कर के तय कर लिया गया है। जैसाकि मैं ने अभी बताया, जो पांच रुपये लगान देता है, वह मजदूर माना जाता है और एक रुपये से बीस रुपये तक जो लगान देता है, वह छोटा काश्तकार माना जाता है। उस को अनइकानोमिक होल्डर कहा

जाता है। यह कहा जाता है कि उस की अनइकानोमिक होल्डिंग है। इस का मतलब यह है कि उस के स्वयं के पेट के लिये जितना चाहिए, वह भी वह अपने धंधे से नहीं ले पाता है।

18 hrs.

यह स्कीम ऐसे किसानों पर भी लागू की है। इस को उन पर लागू न किया जाय, इस के दो कारण मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। पहला कारण तो यह है कि यह स्कीम मजदूरों पर लागू होगी। पांच रुपये लगान के जो किसान देता है वह हमेशा अपनी खेती पर निर्भर नहीं रह सकता है। छः महीने तो वह खेती पर काम करता है और बाकी के दिन दूसरों की वह मजदूरी करता है। इसलिये यह स्कीम मजदूरों पर लागू होती है। मैं इसके प्रिंसिपल के ही खिलाफ हूँ। आप कोई भी प्रिंसिपल रखो, उसको सब पर समान रूप से लागू करो। ऐसा नहीं होना चाहिये, कि किसान के लिये अलग से प्रिंसिपल, व्यापारियों के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग ट्रेड्स के लिए अलग प्रिंसिपल रखे जायें।

दूसरा कारण अब मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। एग्रीकल्चरल इनक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस को मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो छोटे किसान हैं, उन के साथ कमपलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये। सुरक्षा कोष में उन्होंने ने खुशी से अनुदान दिया है। अभी जो कम्प्युनिटी डिवेलेपमेंट का काम चल रहा है, विलेज वालेंटरी फोर्स बनी है, लेबर बैंक तैयार किए गए हैं, उन में वे लोग, देहात में रहने वाले लोग, किसान लोग आमदनी का एक दिन का अनुदान मजदूरों के रूप में दे रहे हैं एक महीने में, जिस का मतलब यह हुआ कि साल में बारह दिन वे मजदूरों के रूप में अनुदान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से शहरी लोग हैं, कौन से व्यापारी लोग हैं, कौन से



[श्री दे० शि० पाटिल]

सदस्य हैं, जो अपनी आमदनी का इस आपत्तिकाल में इस तरह से कुछ हिस्सा दे रहे हैं, सुरक्षा कार्यों में इस तरह से निरंतर हाथ बटा रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। जब भी कोई बात होती है टैक्स की किसान को पकड़ लिया जाता है और उपभोग की जब होती है तो बड़े लोगों की तरफ सरकार देखती है। मैं चाहता हूँ कि छोटे किसानों के लिए इस में छट रहनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पचास परसेंट लोग इस में से छोड़ दिए गए हैं लेकिन अगर पैसे के हिसाब से देखा जाय तो लगान के हिसाब से सोलह परसेंट ही छूटे हैं। आप देखें तो आप को पता चलेगा कि किसान और इनकम टैक्स पेयर ये दो वर्गों के लोग ही ऐसे हैं जिन के रिकार्ड सरकार के पास हैं और बाकी के लोग जो हैं, वे कभी भी किसी तरह से भी अपनी आमदनी को छिपा सकते हैं और बच निकल सकते हैं। इसलिए बटवारे की जो नई स्कीम उन्होंने बताई है, उस में उन्होंने कहा है कि जितना लगान से सेविंग हो जायगा उस का ३५ करोड़ तो स्टेट्स को चला जायगा और बाकी का सेंटर को आ जायगा। इस का मतलब यह हुआ कि स्टेट्स का जो हिस्सा था वह तो वही ३५ करोड़ का ३५ करोड़ रहा और सेंटर का जो हिस्सा था वह दस करोड़ से कम होगा। इस वास्ते मैं इस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आयेंगी, उस की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुझे फर्स्ट रीडिंग में वक्त नहीं मिला इस वास्ते एक दो मिनट मुझे दे दिये जायें ताकि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जरा सा प्रकाश डाल दूँ।

हमने पंचायती राज शुरू किया है। महाराष्ट्र का मुझ मालूम है कि लगान पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होता है, पटवारी या रेवन्यू आफिसर्स जो हैं, उनके अधिकार में अब यह चीज नहीं आती है।

यह चीज जिला परिषद् के अधिकार में चली गई है। लगान जितना होता है वह पंचायतों को ही मिलता है या उसका कुछ हिस्सा जिला परिषद् को मिलता है। चूँकि स्टेट्स को हिस्सा इसका नहीं मिलता है, इस वास्ते मैं समझता हूँ कि यह जो सेविंग की बात है, यह पंचायतों के अधिकार में रहनी चाहिये कि तीन परसेंट या पांच परसेंट या पंद्रह परसेंट, जितना वे चाहें डिपॉजिट करें, जितना चाहें किसान को कहें कि वह डिपॉजिट करे। आपने पंचायती राज बनाया है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। अगर पंचायतें चाहें तो खुद अपनी स्कीम बनायें और बना कर लोगों को कहें कि वे पैसा जमा करें।

जो पांच रुपये लगान की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, उसके बारे में उनकी तरफ से कोई एमेंडमेंट दिया गया हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डाल दें ताकि मैं कुछ न कहूँ। अगर उन्होंने कोई अमेंटमेंट इसके बारे में नहीं दिया है तो मैं इस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा।

**Shri Morarji Desi:** There is an amendment which adds a new clause 7B under which the general power of exemption is taken for certain classes of people. That is deliberately done not only for people paying Rs. 5 land revenue, but if we find that any class is affected more adversely, then we can exempt them.

**Shri Bade:** Rs. 5 is not mentioned here.

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कहा है कि पावर्ज ले ली हैं और पांच रुपये हो जाएगा और शायद अगर सख्ती से सलूक होता है, तो और ज्यादा हो जाए।

**श्री बे० शि० पाटिल:** इनकम टैक्स जो देता है, उस पर यह जरूर डबल होता

है। साथ ही साथ किसान पर भी यह लागू होता है।

**Shri Bade:** The hon. Minister has proposed an amendment that "shopkeepers" should be deleted and it should be substituted by "dealers". But in clause 3, there is a definition of "shopkeepers". As a matter of fact, in the whole of the Bill, there is no word as "shopkeepers". So, there is no necessity for definition of "shopkeepers" in clause 3 (f).

**Mr. Speaker:** Let the poor shopkeepers be retained somewhere.

**Shri Prabhat Kar:** There is amendment No. 82 by the Government which seeks to omit that definition. It says "Omit lines 23 and 24 in page 2".

**अध्यक्ष महोदय :** गवर्नमेंट की एमेंडमेंट्स मूव की जायेंगी इस वक्त ? मेरा खयाल है कि अगर आज मूव हो जायें सारी, तो बाकी चीज कल कर लेंगे।

**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) :** एक मिनट मैं भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप की आज्ञा हो।

**Shrimati Tarkeshwari Sinha:** Should I reply to this now?

**अध्यक्ष महोदय :** कल रिप्लाइ दे देना। अब ज्योतिषी जी एक मिनट बोलना चाहते हैं, वह बोल लें।

**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** मैं पाटिल साहब ने जो एमेंडमेंट पेश की है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं बचत के पक्ष में हूँ।

मगर मैं चाहता हूँ कि जिस के पास फालतू पैसा है, उससे ही शासन के कार्यों के लिए पैसा लिया जाए। जहाँ तक किसान का ताल्लुक है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका गुज़ारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। उसकी आमदनी बहुत कम है और अब अगर उस पर बचत का बोझ डाला जाता है, तो इसको मैं किसी भी हालत में उचित नहीं समझ सकता हूँ।

वह किसान जिस को पांच रुपये लगान देना पड़ता है, उसकी हालत को आप देखें। मैंने अपने इलाके में देखा है कि जिस किसान को पांच रुपये लगान देना पड़ता है, उसके पास अधिक से अधिक दो तीन एकड़ ज़मीन होती है और उस किसान की आमदनी मेरे खयाल में साठ सत्तर रुपये साल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होती है। ऐसे आदमियों पर यह टैक्स लगाना, कम्पलसरी सेविंग का बोझ डालना मेरी दृष्टि में उसके लिए बहुत कष्टकारक होगा। इसलिए मैं अत्यन्त दुःख के साथ महसूस करता हूँ कि मुझ अड़ंगा पैदा करना पड़ रहा है उस एमेंडमेंट का समर्थन करते हुए। मैं आशा करता हूँ कि उसको मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** बाकी हमें समझना चाहिये कि बहस खत्म हुई। क्लॉक २ पर जवाब कल दे दिया जाएगा।

18.10 P.M.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 25, 1963/Vaisakhu 5, 1885 (Saka).*